न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली बहरोड़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 03/2024 (आरबीट्रेशन प्रार्थना पत्र)
तारीख रज्जू : 20.03.2024 निर्णय दिनांक : 28.11.2025

उनवान

1. प्रकाश चंद्र रावत पुत्र हरिराम रावत निवासी जैनपुर बास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड।
.....प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ, जरिये सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, जल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. परियोजना निदेशक, कार्यालय ईकाई, डीवीई इन्टरचेंज पर गुरूग्राम सोहना रोड गुरूग्राम हरियाणा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखंड अधिकारी, कोटपूतली (एन.एच.आई 148–बी नारनौल–नांगल चौधरी)–पनियाला मोड कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड।

.....अप्रार्थीगण

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुधीर शर्मा एवं संदीप बंसल प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विशांत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से ।

।। निर्णय ।।

दिनांक 28.11.2025

1. संक्षेप में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–48 के ग्राम पनियाला से प्रारम्भ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे–4) के राजमार्ग–14 के जंक्शन ग्राम शीतल जिला अलवर तक), पनियाला–अलवर–बडौदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), किमी 0.000 से किमी 86.513 के निर्माण (चौडीकरण पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाने आदि) के निर्माण अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिये के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कोटपूतली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2601/357 रकबा में से 0.116 हैक्ट. स्थित ग्राम पनियाला का मुआवजा निर्धारण के संबंध में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 का मुआवजा राशि बाबत पारित किये गये अवार्ड दिनांक 09.09.2022 से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार कोटपूतली से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की ओर से वकील श्री विशांत सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 2601/357 वाके मौजा पनियाला के खातेदार काश्तकार प्रार्थी हैं व मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 148 बी व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 के पनियाला से दिल्ली बडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के जंक्शन ग्राम शीतल जिला अलवर तक भूमि अवाप्ति के लिए अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अधिसूचना जारी की गई तथा उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 2601/357 में से 0.116 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का निर्धारण किये जाते समय **नेशनल हाईवे से सटते हुए भूमि के बाजार मूल्य 2,02,97,466 रूपये प्रति हैक्टेयर** की बजाय नेशनल हाईवे से 500 मीटर बाहर के बाजार मूल्य (डीएलसी दर 4735667 रू. प्रति हेक्टे.) की दर से अवाप्तशुदा **भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया जबकि प्रार्थी की भूमि नेशनल हाईवे से सटती हुई है इसलिए** अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि अवाप्त की गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 03 के द्वारा अधिसूचना जारी किये जाते समय तथा 3ए व 3डी का नोटिस किये जाते समय भी प्रार्थी की भूमि नेशनल हाईवे से सटती हुई पाऐ जाने के कारण ही उपरोक्त अधिसूचना में प्रार्थी की भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

गई थी। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का बाजार मूल्य 2,02,97,466 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य 23,54,506/– रूपये होता है परंतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा प्रार्थी की **अवाप्तशुदा भूमि की बाजार मूल्य की गणना नेशनल हाईवे से सटते हुए न मानकर नेशनल हाईवें से** 500 मीटर बाहर की दर से यानि 47,35,637/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से करते हुए भूमि का मूल्य 5,49,333/– रूपये तय किया। प्रार्थी के अवाप्तशुदा भूमि का बाजार मूल्य से मुआवजा 23,54,501/–रूपये होता है जिसका **RFCTLARR** अधिनियम के अनुसार 1.25 गुणा 29,43,132.50/– रूपये होता है। जिसकी **अधिनियम 13 के अंतर्गत सोलेसियम राशि 100 प्रतिशत 29,43,132/– रूपये जिस पर दिनांक** 07.05.2022 से आज दिवस तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय ब्याज राशि 14,12,703/– रूपये कुल मुआवजे की राशि 72,98,968.60/– रूपये होती है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि की मुआवजा राशि की गणना को दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 03 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाए जाने पर उनके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी हाल खसरा नंबर 2601/357 नेशनल हाईवे संख्या 148 बी एवं 48 से लगती हुई है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी अप्रार्थी गण द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का संशोधित मुआवजा राशि की न तो आज दिवस तक गणना की नही मान बाजार मूल्य प्रार्थी की उपरोक्त मुआवजा राशि अदा की गई है। उपरोक्त मुआवजा राशि का निर्धारण किये जाने से पूर्व अधिकारीगण द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। भू–अवाप्ति अधिकारी के द्वारा तहसीलदार की मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर उपरोक्त मुआवजा राशि की गलत गणना करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है। भू–अवाप्ति अधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की मूल भावनाओं के उद्देश्यों के विपरीत अवाप्तशुदा भूमि के प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत वर्तमान बाजार मूल्य से भूमि की गणना ना कर विधि विरुद्ध जाकर उपरोक्त आदेश पारित किये है।

अंत में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी **की अवाप्तशुदा भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 2601/357 वाके मौजा पनियाला में अवाप्तशुदा** 0.116 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार गणना करते हुए मुआवजा 23,54,501/– रूपये होता है जिसका **RECTLARR** अधिनियम के अनुसार 1.25 गुणा 29,43,132.50/– रूपये होता है। जिसकी अधिनियम 13 के अंतर्गत्त सोलेसियम राशि 100 प्रतिशत 29,43,132/– रूपये जिस पर दिनांक 07.05.2022 से आज दिवस तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से देय ब्याज राशि 14,12,703/– कुल मुआवजे की राशि 72,98,968.60 /– रूपये होती है के अनुसार मुआवजा राशि दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रतिवादी संख्या 2 एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ–साथ, राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना है, जो केंद्र सरकार द्वारा उसके अधीन निहित या सौंपे गए हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जिसे आगे "मोर्ट एंड एच" कहा जाएगा) ने राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 3900 (ई) दिनांक 21.09.2021 के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "एनएच अधिनियम, 1956" कहा जाएगा) की धारा 3(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप–जिला अधिकारी, कोटपूतली के कार्यालय को सक्षम प्राधिकारी (जिसे आगे "सीएएलए" कहा जाएगा) के रूप में नियुक्त किया, जो एनएच अधिनियम, 1956 एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013" कहा जाएगा) के अधीन कार्य करेगा। राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 4161 (ई) दिनांक 08.10.2021 एवं एस.ओ. 1933(ए) दिनांक 26.04.2022 द्वारा, एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 3 (क) (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, मोर्ट एंड एच ने सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण की मंशा व्यक्त की, जिसमें अधिसूचना के अनुसूची में वर्णित भूमि को अधिग्रहित करना शामिल है, जो पनियाला–अलवर–बड़ोदामियो (इंटर कॉरिडोर मार्ग) परियोजना के लिए है। यह परियोजना, जयपुर जिला के गांव पनियाला से प्रारंभ होकर, अलवर जिला के गांव शीतल तक जाती है। उपरोक्त अधिसूचना सं. एस.ओ 4161 (ए) दिनांक 08.10.2021 के अनुपालन में, जिला मजिस्ट्रेट–1, अलवर को त्रुटिवश भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी नामित कर दिया गया। अधिसूचना एस.ओ. 1933 (ई) दिनांक 26.04.2022 के माध्यम से, मोर्ट एंड एच द्वारा अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की मंशा घोषित की गई। उक्त अधिसूचना दिनांक 26.04.2022 के अनुसार, प्लॉट खसरा संख्या 2601/357 का अधिग्रहण पनियाला–अलवर–बड़ोदामियो परियोजना के लिए प्रस्तावित किया गया। खसरा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

संख्या 2601/357 को एस.ओ 1933 (ई) दिनांक 26.04.2022 के तहत गांव पनियाला की अनुसूची में क्रम संख्या 10 पर "बरानी 2" के रूप में दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 0.2200 हेक्टेयर है। उपरोक्त अधिसूचनाएं एस.ओ. 4161 (ई) दिनांक 08.10.2021 एवं एस.ओ. 1933 (ए) दिनांक 26.04.2022 के अनुसार, एनएच अधिनियम, 1956 की धारा उसी के तहत यह भी कहा गया कि "कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितधारक हो, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर उपयुक्त आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 3ए (3) के अंतर्गत, उपरोक्त अधिसूचनाओं का सारांश "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 23.10.2021 को तथा "टाइम्स ऑफ इंडिया" एवं "नवज्योति" में दिनांक 07.05.2022 को प्रकाशित किया गया। अतः उपरोक्त अनुच्छेद 7 एवं 8 के आलोक में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहण की मंशा की विधिवत जानकारी थी। धारा उसी के अंतर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर 17.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा सुनवाई की गई, परंतु सभी आपत्तियां खारिज कर दी गईं। अधिसूचना सं. एस.ओ. 3331 (ई) दिनांक 22.07.2022 के माध्यम से, एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 3डी (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की गई। धारा 3डी (2) के अनुसार, उक्त अधिसूचना के **प्रकाशन के पश्चात, वर्णित भूमि केंद्र सरकार में पूर्णतः निहित हो जाती है और वह सभी भारों** से मुक्त हो जाती है। याचिकाकर्ता की भूमि खसरा संख्या 2601/357 को अधिसूचना एस.ओ. 3331(ई) दिनांक 22.07.2022 के अनुक्रमांक 154 में "बरानी 2" के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अधिग्रहित क्षेत्रफल 0.116 हेक्टेयर है। सीएएलए द्वारा दिनांक 09.09.2022 को एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (1) के अंतर्गत पुरस्कार पारित किया गया, जिसमें भूमि मूल्य, डीएलसी दरें, राज्य सरकार के परिपत्रानुसार गुणक आदि पर विचार करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया। सीएएलए द्वारा अपने पुरस्कार में उल्लेख **किया गया कि सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और राजस्व अभिलेखों के निरीक्षण** तथा आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात ही पुरस्कार पारित किया गया। खसरा संख्या 2601/357 के लिए मुआवजे की गणना नियमानुसार की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन में 3जी (1) पुरस्कार में संशोधन के कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं को उक्त भूमि अधिग्रहण की मंशा एवं आपत्ति दायर करने के अवसर की पूर्ण जानकारी थी। धारा उसी के तहत कई आपत्तियां सीएएलए को प्राप्त हुईं, जिन पर सुनवाई दिनांक 17.06.2022 को की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया गया। याचिका में उल्लेखित आधार असत्य, तथ्यविहीन एवं रिकॉर्ड के विपरीत हैं, तथा उन्हें अस्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं की भूमि NH–48 (पूर्व में NH–8) से सटी हुई नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों के कई पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 2601/357 NH–08 से स्पर्श नहीं करता है। अतः मूल 3जी (1) पुरस्कार दिनांक 09 09.2022 में दर्शित ₹47,35,637/हेक्टेयर की डीएलसी दर विधिसम्मत है। इसके अतिरिक्त, याचिका में मांगीगई दरें तथ्यात्मक एवं वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं. अतः यह माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं।

अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी **नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तषुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया** था। वह सम्पूर्ण रिकार्ड एव तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत किसी तरह का विवाद नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के तहत निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का जो आदेश दिनांक 09.09.2022 से पारित किया गया है, का ध्यानपुर्वक अवलोकन से **स्पष्ट होता है कि अवाप्त भूमि डीएलसी दर एन.एच. 8 से 500 मीटर से बाहर के अनुसार निर्धारित दर** से मुआवजा पारित किया गया है, जबकि मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/4287 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2601/357/0.22 पनियाला–नारनौल हाईवे एन.एच. 148 बी पर स्थित था जिसका अलवर बडौदा मेव–पनियाला भारतमाला परियोजना में दो बार अवाप्ति पश्चात् खसरा नम्बर 2647/2601/0.2180 हैक्टेयर एवं पुनः अवाप्ति पर नया खसरा नम्बर 2833/2647/0.1020 हैक्टेयर भूमि शेष खातेदार के नाम दर्ज है, जो नारनौल–पनियाला एनएच 148 बी पर ही स्थित है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 2601/357 में से 0.116 हैक्टेयर भूमि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त की जा चुकी है, यह खसरा एन.एच. 8 से स्पर्श करता हुआ

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

है, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा एन.एच. 8 से 500 मीटर से बाहर की दूरी की डीएलसी दर से भूमि का मुआवजा तय किया गया है जो न्यायोचित नही है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर आंशिक रूप से चस्पा होते है। इसलिए प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का एन.एच. 8 से स्पर्श करती हुई डीएलसी दर से मुआवजा दिया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 09.09.2022 को संशोधित करते हुये नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3(जी) 7(ए) के तहत अवाप्तशुदा भूमि की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक 22.07.2022 को वर्णित भूमि की डीएलसी दर एन.एच. 8 से स्पर्श करती हुई दर के अनुसार मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(1) राजस्व ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।

(2) नाम खातेदार/हितधार :– प्रकाश चंद्र रावत पुत्र हरिराम रावत निवासी जैनपुर बास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़।

(3) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3(जी)7(ए) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आराजी का एनएच 8 से स्पर्श करते हुए पुनः निर्धारण कर दिनांक 22.07.2022 की डीएलसी दर से :–

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि का वर्गीकरण	एनएच 8 से स्पर्श करता हुआ डीएलसी दर (प्रति हैक्ट.)	भूमि का बाजार मूल्य	शहरी सीमा क्षेत्र से 0 से 10 कि. मी. तक बाजार मूल्य 1.25	RFLT 2013 सोलूसियम राशि 100 प्रतिशत	भूमि कुल मुआवजा राशि
पनियाला	2601/357	0.116	बारानी 2	19330920	2242387	2802983	2802983	5605967
पूर्व में भुगतान की गई राशि ब्याज सहित								1395911
पूर्व में भुगतान की गई मूल राशि					0			
कुल मूल राशि					2242387			
मूल में अन्तर राशि					2242387			
मूल अन्तर राशि का शहरी सीमा क्षेत्र से 0 से 10 कि.मी. तक बाजार मूल्य 1.25						2802983		
मूल अन्तर राशि का रिफलेक्टर 2013 सोलूसियम राशि 100 प्रतिशत								5605967
आर्बीट्रेशन एनएच एक्ट 1956 के चैप्टर 04 के 3एच डिपोजिट एण्ड पैमेंट आफ अमाण्उट के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 3डी की अधिसुचना जारी दिनांक से मूल राशि के अन्तर राशि पर 9 प्रतिशत से देय ब्याज दिनांक 22.07.2022 से 28.11.2025 तक (कुल 1226 दिन) राशि					677877			6283843
कुल देय राशि								6283843

नियमानुसार राशि 6283843 रूपये अक्षरें बासठ लाख तैरासी हजार आठ सौ तैन्तालीस रूपये मात्र का प्रार्थी को तत्काल भुगतान किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि पूर्व मे कोई भुगतान किया जा चुका है तो उसको उक्त राशि में से कम किया जाकर भुगतान किया जावें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़